



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228529
CG-DL-E-28072021-228529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2773]
No. 2773]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SHRAVANA 6, 1943

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2021

का.आ. 2984(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के नामांकन को अधिसूचित करती है :-

क्र. सं.	नाम	अधिनियम की धारा
1.	श्री राजेंद्र कुमार कटारिया, आईएएस, सचिव, बागवानी और रेशम पालन विभाग, कर्नाटक सरकार।	अधिनियम की धारा 4(3)(घ) के अंतर्गत कर्नाटक सरकार की सिफारिश पर नामित
2.	श्रीमती सी. पी. शैलजा, आईएएस, रेशम विकास आयुक्त और निदेशक रेशम पालन, कर्नाटक सरकार।	अधिनियम की धारा 4(3)(घ) के अंतर्गत कर्नाटक सरकार की सिफारिश पर नामित

[फा.सं. 25011/17/2019-रेशम]

संजय शरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2021

S.O. 2984(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following person to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1	Sh. Rajender Kumar Kataria, IAS, Secretary to Govt. Horticulture and Sericulture Dept., Govt. of Karnataka.	Nominated on the recommendation of Govt. of Karnataka under Section 4(3) (d) of the Act.
2.	Smt. C.P. Shylaja, IAS, Commissioner for Sericulture Development & Director of Sericulture, Govt. of Karnataka.	Nominated on the recommendation of Govt. of Karnataka under Section 4(3) (d) of the Act.

[F.No.25011/17/2019-Silk]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.